कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 2996/नीति/टीसी/2011 ग्वालियर, दिनांक 9-6-2011

प्रति,

अवर सचिव,
म.प्र. शासन
परिवहन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय :– जन संकल्प 2008 की जानकारी बाबत ।

संदर्भ :– मंत्रालयीन पत्र क्रमांक एफ 22–03/2009/आठ दिनांक 24.05.11

....

विषयांतर्गत क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी के अंतर्गत विभाग से संबंधित 05 बिन्दुओं पर विवरण निम्नानुसार है:–

जन संकल्प 2008 के अंतर्गत विभाग से संबंधित 05 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना थी जिनका विवरण निम्नवत है :–

संकल्प –1 प्रदेश में सार्वजनिक आवागमन सुविधाओं को जनहितकारी, सुलभ एवं सुरक्षित बनाने के लिये विशेष कार्य योजना

यह बिन्दु परिवहन विभाग के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आवागमन सुविधाओं को सुलभ करने के लिये खुले परमिट नीति अपनाई गई है। जिसके अन्तर्गत सभी मार्गो पर परमिट दिये जा रहे है। ग्रामीण मार्गो पर सस्ते एवं सुलभ यातायात के साधन उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण मार्गो को चिन्हाकित कर उन पर ग्रामीण सेवा यान (जिनके कर की दर अपेक्षाकृत कम है) चलाई जा रही है। परिवहन नीति 2010 में यात्री परिवहन को निरापद और दुर्घटना रहित बनाने के उपायो पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 में संशोधन कर मार्ग की दूरी के आधार पर चलने वाली बसों का सीटो का निर्धारण किया गया है एवं अर्न्तप्रान्तीय मार्गो पर 10 वर्ष से अनधिक, प्रान्तीय मार्गो पर 15 वर्ष से अनधिक एवं किसी भी मार्ग पर 20 वर्ष से अनधिक मॉडल के वाहनों को ही संचालन हेतु अनुज्ञात कर प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा जिलों में एम्बूलेंस एवं क्रेन वितरित की गई है जिन्हें आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया गया है।

संकल्प –2 शासन की योजनांतर्गत गरीबों व बेरोजगारों को दिये जाने वाले वाहनों के साथ उन्हें रूट परमिट भी दिये जाएगें

विभाग में रानी दुर्गावती तथा दीनदयाल स्वरोजगार योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण के द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनों के स्वामियों को तत्काल परमिट प्रदाय किए जाते है। शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन को निर्देशित किया जा चुका है कि वे जो भी ऐसे प्रकरण आते है उन्हें तत्काल नियमों के अतंर्गत परमिट उपलब्ध करायें ।

संकल्प –3 सडको पर चलने वाले सार्वजनिक यातायात को और अधिक सस्ता सुगम व सुविधापूर्ण बनाया जायेगा ।

जनसंकल्प 2008 के अंतर्गत सार्वजनिक यातायात को और अधिक सस्ता, सुगम व सुविधा पूर्ण बनाये जाने हेतु म.प्र. मोटरयान नियम 1994 एवं कराधान अधिनियम 1991 में दि. 24.11.2010 द्वारा आवश्यक संशोधन किये गये है तथा उक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

संकल्प –4 महिलाओं व बच्चों के लिये महिला ड्रायवर तथा कन्डेक्टर युक्त विशेष सार्वजनिक यातायात सुविधा

महिलाओं व बच्चों के लिये महिला ड्रायवर तथा कन्डेक्टर को चिन्हाकित करने के व्यापक प्रयास किये गये है। अभी क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि महिलाओं को चालक व परिचालक लायसेंस के लिये प्रोत्साहित करें ।

संकल्प –5 ग्रामीण यातायात हेतु विशेष कार्ययोजना

नई परिवहन नीति अनुसार म.प्र. मोटरयान नियम 1994 एवं कराधान अधिनियम 1991 में दि. 24.11.2010 के अनुसार मात्र 60/– रूपये प्रतिसीट त्रैमासिक की दर से यान कर पर ग्रामीण सेवा प्रारंभ की गई है। एक हजार से अधिक ऐसे ग्रामीण मार्गो को चिन्हित किया गया हैं । ग्रामीण मार्गो के लिये जिला स्तर से परमिट दिये जा रहे है।

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
मध्यप्रदेश